तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/5/17	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार को आवश्यक रूप से भेजी जाती है। पत्रावली दिनांक 31/5/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
31/5/17	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरकारी जमीन में से पेड़ काटने पर R.T.ACT 81 की धारा लागू होती है न कि खातेदारी भूमि में से पेड़ काटने पर। इस प्रकरण में तथ्यों पर कोई लिये गोविन्द देवजी मन्दिर धनि गोविन्ददेवजी की खातेदारी में से ~~पेड़ काटने~~ तहसीलदार द्वारा पेड़ काटने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा पेड़ भी बबूल का काटना बताया है जो सरकार द्वारा बबूल का पेड़ काटने की छूट दे सकती है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खारिज किया जाता है। ~~प्रार्थी फैजल कुमार~~ सम्बन्धित को हदीद जमीन के किसी भी पेड़ को खाते का प्रबन्धक की गोविन्ददेवजी मन्दिर को लगवायें। प्रार्थी फैजल कुमार को तहसीलदार के समक्ष पेश करें। पत्रावली समाप्त है।

जारी 24/8/99 24/5/17

जारी 5398/99 24/7/17